न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/500

सूरज आत्मज भंवर लाल आयु 47 वर्ष जाति बाबाजी गुंसाई निवासी वार्ड नं0 19 किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. हेमराज आत्मज भंवर लाल जाति बाबाजी गुंसाई निवासी वार्ड नं0 19 किसान कॉलोनी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. विनोद कुमार आत्मज कमल कुमार जाति महाजन मारवाडा निवासी सदर बाजार नैनवा जिला बून्दी ।
3. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक शाखा नैनवा जिला बून्दी ।
4. सब रजिस्ट्रार नैनवा तहसीलदार साहब नैनवा जिला बून्दी ।
5. चन्द्र प्रकाश आत्मज रामेश्वर जाति तेली निवासी टोडापोल घास भैरू जी के पास नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नन्दसिंह हाडा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 व 5 की ओर से।
3. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1, 3 व 4 की ओर से ।

दिनांक: 22.05.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एव 188 के अन्तर्गत कस्बा नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 4829 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 4830 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 4831 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 4836 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 4837 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 हेमराज के खातेदारी व अधिपत्य की भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी कम 1 का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं ।

विवादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करवाया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि को रहन, बेचान एंव खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विभाजन करने एवं प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय एवं विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक डिक्री के आधार पर पक्षकारान के मध्य दिनांक 22.06.2016 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव अंतिम डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 5 द्वारा भूमि बेचान करने ककी कहने पर व भूमियॉ उनके खाते दर्ज हो जाने की दिनाक 18.10.2016 को जानकारी हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव अंतिम डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं करते हुए उक्त विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी कम 1 ने पटवारी हल्का से आपस में मिली भगत कर मेन रोड की आगे की भूमि अपने हक में अंकित करवा ली तथा बुरी व पीछे की भूमि वादी को विभाजन में दिलवा दी जबकि पटवारी हल्का को व अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमियों को सामने से सीधे हिस्से करके विभाजना करना चाहिए था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव आने के पश्चात् बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये और न ही अधिवक्ताओं को बुलाये व सुनवाई का अवसर दिये उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियमों की पालना करते हुए उक्त निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है । यदि अपीलान्ट को उक्त विभाजन से कोई आपत्ति थी तो अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2016 बहाल रखा जावे ।

पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस
मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय
याद अधिनियम का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो
कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य
किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में तहसील द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है
कि उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारान को न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की
पालना में विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित करने का कोई
तथ्य अंकित नहीं है । यदि ऐसा कोई सूचना पत्र जारी भी हुआ है एवं पक्षकारान स्वयं
उपस्थित नहीं आए हैं तो उसका भी कोई उल्लेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । इसी
प्रकार तहसील से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को
आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई सूचना पत्र भी जारी होना नहीं पाया गया है । इस तरह
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण प्रकिया अवैध एवं विधि के सुस्थापित नियमों के
विपरीत है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री व निर्णय पारित करने के पूर्व राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
रूल्स 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की है जिसके अनुसार पक्षकारों के मध्य असहमति
की दशा में दोनों पक्षों को अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि देनी चाहिए । हमने
राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स 18 से 21 का अवलोकन किया उक्त नियम इस प्रकार है :-
नियम 18 – जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना – एक जोत के विभाजन तथा
लगान के वितरण का सह–अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के
न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा । तहसीलदार उस करार की शर्तो के अनुसार आदेश पारित
करेगा और तद्नुसार जोत के विभाजन को प्रभावी (लागू) करेगा ।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
पक्षकारान के मध्य विभाजन की जो अंतिम डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत नहीं होने एवं
त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया
जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.06.2016 निरस्त किया
जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह
विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए माननीय
न्यायालय राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णरूप से पालना करते हुए विधि
सम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ
न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8.9.16
Surya Kumar Jain